

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-187/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० आरती कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खड़सारी, जमुई द्वारा प्रथम सतान के देखभाल हेतु दिनांक-01.08.2024 से 31.08.2025 तक कुल-396 (तीन सौ छियानवें) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2124(25), दिनांक-31.12.2024 द्वारा प्राप्त शिशु देखभाल अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात् डा० आरती कुमारी के पक्ष में 334 (तीन सौ चौतीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2 इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-187/2024

157/2) पटना, दिनांक 28/01/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खड़सारी, जमुई/ डा० आरती कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खड़सारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. N. K. 27/1/26
सरकार के उप सचिव